

क्षेत्राधिकार श्रीमान उपनिबन्धक I, बरेली

बैनामा आवासीय प्लॉट अर्द्धनगरीय क्षेत्र आराजी दर भूमि...../— प्रति वर्ग मीटर है । जिस पर कोई निर्माण नहीं है । शत्रु नजूल, वक्फ, चर्च सम्पत्ति नहीं है, विक्रेता व क्रेता भारतीय हैं सीलिंग से पूर्णतया मुक्त है ।

शासनादेश सं०..... दिनांक के अनुसार स्टाम्प अदा किया गया है ।

विक्रय मूल्य...../— रूपये मालियत सरकारी...../— रूपये स्टाम्प...../—रूपये

हम कि मैसर्स कुनाल प्रॉपर्टीज, ग्राम करमपुर चौधरी, नैनीताल रोड, जिला बरेली द्वारा पार्टनर के मुख्यारनामा आम जिसकी रजिस्ट्री दिनांक.....ई० को बही सं० 1 जिल्द सं०..... के पृष्ठ सं०..... से में नम्बर पर कार्यालय सं०२० साहब प्रथम बरेली में हुई है, जो आज तक कायम व बरकरार है मसूख नहीं किया गया है तथा शख्स मजकूरैन आज तक हयात है प्रथम पक्ष (पैन नं० AAUFK8030C है व आधार नं०)

एवं

क्रेता द्वितीय पक्ष

श्री..... पुत्र..... निवासी.....(कमशः पैन नम्बर..... आधार नं०.....)

जो कि आराजी गाटा/खेत सं० 428,429,430,431,432,512पार्ट,531पार्ट एवं 532पार्ट बाकै ग्राम करम पुर चौधरी पर व तह० बरेली जिसका तलपट मानचित्र सं० BDA/LD/22-23/0147 दिनांक 25-08-2023 ई० बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली से स्वीकृत है को श्री मनमोहन सिंह छावड़ा पुत्र स्व० प्रितपाल सिंह व श्रीमती मनप्रीत कौर पत्नी श्री मनमोहन सिंह छावड़ा एवं श्रीमती सतनाम कौर पत्नी स्व० प्रितपाल सिंह व राजबीर सिंह छावड़ा पुत्र श्री मनमोहन सिंह छावड़ा निवासी३०-डी/1, शाहदाना कालोनी, मॉडल टाउन, निकट रेलवे कासिंग, जिला बरेली ने बैनामों के द्वारा खरीद किया और बाद खरीददारी उपरोक्त आराजी को पार्टनरशिप फर्म कुनाल प्रॉपर्टीज में समेकित कर दिया एवं उपरोक्त आराजी पर प्लॉट कायम किये फर्म मजकूर उपरोक्त आराजी की पूर्ण स्वामी है और उस पर काबिज व दखील है और उसे प्लॉट को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है एवं मैंने बहैसियत प्रतिनिधि फर्म मजकूर के अपनी खुशी से खूब सोमझकर विला किसी जन्न व दबाव के बदरुस्ती होश व हवास में एक किता प्लॉट नं..... तादादी..... वर्गमी० स्थित ऐरोसिटी फेस-2 पर० व तह० जिला बरेली । प्रथम पक्ष को उक्त आराजी विक्रय करना है और क्रेता उसको क्रय करने को तैयार है जो प्रथम पक्ष को स्वीकार है अतः प्रथम पक्ष ने खूब सोचकर व समझकर स्वेच्छा से स्वस्थ व चैतन्य मन से वही आवासीय प्लॉट नं०..... तादादी..... वर्गमी० स्थित ऐरोसिटी फेस-2 पर०व०तह० जिला बरेली जिस पर प्रथम पक्ष उपरोक्तानुसार तन्हा मालिक व काबिज चली आती है जो इस वक्त तक पूर्ण रूप से पाक व साफ है सिवाए प्रथम पक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई मालिक व काबिज नहीं है और प्रथम पक्ष ने किसी अन्य व्यक्ति से इसकी बिक्री का लिखित या मौखिक विक्रय या विक्रय अनुबन्ध नहीं किया है । अतः प्रथम पक्ष ने खूब सोचकर व समझकर स्वेच्छा से स्वस्थ व चैतन्य मन से निम्नलिखित आराजी को अपने स्वामित्व एवं समस्त अधिकार एवं हितों सहित अंकन रू०...../— (.....रूपये) क्रेता द्वितीय पक्ष को विक्रय कर निम्नवत विक्रय मूल्य प्राप्त कर अपने समस्त सावामित्व एवं अधिकार क्रेता को प्रदान कर दिये अब प्रथम पक्ष व उसके किसी उत्तराधिकारी का किसी प्रकार का कोई समबन्ध निम्नलिखित आराजी में नही रहा न भविष्य में रहेगा विक्रय कार्यवाही पूर्ण हुई परन्तु यह निश्चित हुआ कि निम्नलिखित आराजी के स्वामित्व के सम्बन्ध मं प्रथम पक्ष या उसके परिवार का कोई हस्तक्षेप करता है और उसके हस्तक्षेप से विक्रित आराजी या उसका कोई अंश बाधित होता है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को आराजीपर यदि तारीख बैनामा से पूर्व के कोई भी देनदारी निकलती है तो उसको अदा व जमा करने पर जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी प्रश्नगत सम्पत्ति का पूर्व में कोई बैनामा नहीं किया गया है और न ही उक्त सम्पत्ति का अन्य किसी के पक्ष में इकरारनामा मुहायदावय व वसीयतनामा व दान पत्र व मुख्यारनामा किया गया है, भूमि का स्वामित्व कब्जा व चौहददी में कोई विवाद नहीं है तथा प्रश्नगत सम्पत्ति की सीमाओं में कोई वाणिज्यिक/व्यवसायिक गतिविधि विद्यमान नहीं है । भविष्य में इस सम्पत्ति पर लागू समस्त कर (नगर निगम, सर्विस टैक्स, जी.एस.टी. बिजली बिल इत्यादि) देने का पाबन्द क्रेता होगा । क्रेता स्वीकृत मानचित्र संख्या BDA/LD/22-23/0147 दिनांक 25-08-2023 ई० बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली से

स्वीकृत है के अनुसार निर्माण करने का पाबन्द रहेगा तथा किसी प्रकार का अनाधिकृत अतिक्रमण जनरेटर आदि घर के बाहार नहीं रखेगा । भविष्य में फर्म द्वारा गठित सोसायटी द्वारा निर्धारित रख-रखाव की जो भी धनराशि होगी उसे क्रेता समय पर देने का पाबन्द रहेगा । अतः यह विक्रय पत्र पर लिपिबद्ध कर दिया कि प्रमाण रहे ।

सीमाएँ :- विक्रीत प्लॉट नं०..... तादादी.....वर्गमी० स्थित **ऐरोसिटी फेस-2** पर०व तह० जिला बरेली -

पूरब -

पश्चिम -

उत्तर -

दक्षिण -

पैमाईश - संलग्न नक्शा बैनामा लेखानुसार है ।

घोषणा

हम पक्षकार घोषित करते हैं कि विक्रीत सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के प्रथम भाग क्षेत्राधिकार में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्र के दिये गये सीमांकन में स्थित है । विक्रीत सम्पत्ति चिन्हित मार्ग बरेली-शाहजहाँपुर रोड से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है । मूल्यांकन सूची के पृष्ठ सं० 25 के क्रमांक 162 के कॉलम 07/बी कोड 1050 में निर्धारित दर के अनुसार गणना कर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है । प्रलेख में दिये गये विवरण की पूर्ण जिम्मेदारी हम पक्षकारों की होगी । धारा 27 स्टाम्प अधिनियम का पूर्ण पालन किया गया है ।

तफसील वसूल जरे समन - वक्त तहरीर इकरारनामा मुहायदावय के प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त किये मुबलिंग रू० /- दिनांक..... द्वारा बैंक सं० बैंक..... कुल रू०..... /- प्राप्त किये ।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

गवाह नं० 1

गवाह नं० 2

तहरीर व तारीख :..... स्थान- तहसील..... जनपद बरेली

ड्राफ्ट कर्ता -..... तहसील..... जिला बरेली